

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:-1362/1जी- FP/UK/ROAD/9495/2015 देहरादून: दिनांक: 24 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- चमोली के विकासखण्ड अटज आदर्श ग्रामयोजनान्तर्गत जोशीमठ में ग्राम पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal no-- FP/UK/ROAD/9495/2015)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है, जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव में प्रति है० 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी- FP/UK/ROAD/9495/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।
5. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गौपेश्वर।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रा० खं०, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- विषय:- चमोली के विकासखण्ड अटज आदर्श ग्रामयोजनान्तर्गत जोशीमठ में ग्राम पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal no-- FP/UK/ROAD/9495/2015)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त परियोजना हेतु बद्रीनाथ वन प्रभाग में 21 है0 सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग एवं वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी, द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः चमोली के विकासखण्ड अटज आदर्श ग्रामयोजनान्तर्गत जोशीमठ में ग्राम पंचायत मुख्य ग्राम द्वीग तक प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि 24/10/2017

स्थान : देहरादून